


समक्ष

६ सदस्यमधेद्य ६ सर्टिकोट
श्रीमान् म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर क्षेत्र रीवा म०प्र०
R. 5200-८/116



वसीम अंसारी तनय स्व० जाहिद अंसारी, उम्र-36 वर्ष, निवासी मोहल्ला तरहटी
रीवा, तहसील-हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

—आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1— शासन म०प्र०

2— योगेन्द्र सिंह तनय सम्पत कुमार सिंह, उम्र-50 वर्ष, निवासी मोहल्ला घोधर
मालिक सम्राट होटल घोधर रीवा तहसील-हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

श्री इनायत रपले एडव्हार
पंगा | ५-५-१६

—अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश (फैसला) नजूल तहसीलदार
रीवा दिनांक ०८/०२/२०१६ अन्तर्गत प्र०क्र०

५-अ-१२/१५-१६ बमुकदमा अन्तर्गत धारा १२९
म०प्र०भ०रा०स० १९५९ ई० सहपठित धारा ३२
म०प्र०भ०रा०स० एवं नजूल अधिकारी तहसील हुजूर
जिला रीवा के आदेश दिनांक २०/०४/२०१६
प्र०क्र०- १/अ-१२/१५-१६

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भ०रा०स०-१९५९ ई०

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य

निवेदन है कि संक्षेप में मामले का तथ्य यह है कि आवेदक निगरानीकर्ता
द्वारा नगर रीवा के व्यंकट रोड स्थित भूमि प्लाट नं०-१०७३/९ व १०७३/१०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्रो—R.5200-II/16

जिला—रीवा

वसीम अंसारी / शासन(मोप्रो), योगेन्द्र सिंह

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>	 सरकारी